केवल E-mail/Fax द्वारा

उत्तराखण्ड सरकार


## कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in    दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334


पत्रांकः    /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018    दिनांक 7 जून, 2018

### कार्यालय आदेश

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्याः 01, वर्ष 2018)' की धारा–16 के अनुसार गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में किया जाता हैः–

| क्र.सं. | कार्मिक का नाम एवं पदनाम | वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम | नयी तैनाती कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री प्रकाश सिंह भण्डारी, जिला सूचना अधिकारी | जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल | सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून |
| 2. | श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी | मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल | जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी |
| 3. | श्री भरत सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक | सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून | जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर |
| 4. | श्रीमती संतोषी नेगी, कनिष्ठ सहायक | सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून | जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल |
| 5. | श्री रति लाल, संरक्षक–सह–डाटा एंट्री आपरेटर | सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून | जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़ |

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है किः–

1. उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22 के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नये तैनाती स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (journey time)' का ही उपभोग करेंगे;
2. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी;
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22 (4) के अनुसार स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा;
5. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य संबंधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्गित पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

6. स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करने की स्थिति में इस कृत्य/आ को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कार्मिक के वि "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी;
7. स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेश या निदेश का उल्लंघन या उल्लंघन का प्रत्यन अधिनियम की धारा–24(3) के अनुसार दण्डनीय होगा;
8. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22(1) के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि के दिन के पश्चात वर्तमान तैनाती कार्यालय के स्तर से स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक का आहरित नहीं किया जायेगा;
9. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(ग) के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए स्थानान्त उपरोक्त कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती संबंधी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने की तिथि को अनि रूप से सुगम क्षेत्र के लिए अवमुक्त कर दिये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 494 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल/देहरादून/उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल/देहरादून/उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ़।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
5. संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि आदेश के जारी होने की तिथि के सात दिन पश्चात स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहि न करें।
6. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
7. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संबंधित कार्मिक/संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
12. नोटिस बोर्ड/विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक